"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 327] रायपुर, शनिवार, दिनांक 29 दिसम्बर 2012 — पौष 8, शक 1934

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर (छ.ग.)–492011

रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर, 2012

अधिसूचना

क्रमांकः 45/सी.एस.ई.आर.सी./2012 — विद्युत अधिनियम 2003 (36 का 2003) (एतद् पश्चात् अधिनियम) की धारा 181(2)(जी) एवं धारा 32 (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एस. एल.डी.सी.) द्वारा, प्रभारित एवं संग्रहीत किये जाने वाले शुल्क एवं प्रभार को विनिर्दिष्ट करने के लिए, एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता हैः–

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ

(1) ये विनियम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र शुल्क एवं प्रभार तथा अन्य संबंधित विषयक) विनियम 2012 कहलायेंगे।

(2) ये विनियम वित्त वर्ष 2013–14 से 2015–16 तक राज्य भार प्रेषण केन्द्र शुल्क एवं प्रभार के निर्धारण हेतु लागू होंगे एवं नए विनियमों द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने तक प्रभावशील बने रहेंगे।

2. प्रयोज्यता एवं उपयोगिता की सीमा

(1) ये विनियम, राज्य भार प्रेषण केन्द्र के शुल्क एवं प्रभारों के निर्धारण हेतु लागू होंगे, जो राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा, राज्य में विद्युत का पारेषण करने वाले अनुज्ञप्तिधारी उत्पादन कम्पनियों पर लगाया व उनसे वसूला जावेगा।

(2) ये विनियम, विद्युत के एकल उत्पादकों (स्टेण्ड एलोन जनरेटर्स) प्रचुर मात्रा में उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं (बल्क कंन्ज्यूमर्स) और केप्टिव उपयोगकर्ताओं पर लागू नहीं होंगे।

परन्तु ऐसे एकल उत्पादकों जो कि नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों हेतु विद्युत के मापन या अंकेक्षण के लिए या आयोग द्वारा समय–समय पर निर्देशित किसी अन्य प्रयोजन हेतु भार प्रेषण केन्द्र की सेवाओं का प्रयोग करेंगे, उन्हें भी इन विनियमों के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क एवं प्रभार देय होगा।

3. परिभाषाएँ

जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इन विनियमों में: –

3.1 **''अधिनियम''** अर्थात् विद्युत अधिनियम 2003 (वर्ष 2003 क्रं.36);

3.2 **''अतिरिक्त पूंजीकरण''** अर्थात् परियोजना के व्यावसायिक प्रचालन प्रारम्भ होने की तिथि के पश्चात् किया गया अथवा करने हेतु प्रक्षेपित पूंजीगत व्यय जिसे आयोग द्वारा जांच परख के उपरांत स्वीकार किया जाये;

3.3 **अंकेक्षक**–अर्थात् कोई अंकेक्षक, जिसकी नियुक्ति राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा की जावे तथा जो अंकेक्षक नियुक्ति की पात्रता, कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 224 या धारा 233 B या धारा 619 या अन्य विधि जो तत्समय प्रभावशील हो, के प्रावधानों अनुसार पूरी करता हो;

3.4 **पूँजीगत व्यय** – का तात्पर्य उस पूंजीगत व्यय से है, जो कि विनियम 6 में दी गई परिभाषा के अनुरूप हैं;

3.5 **पूँजीगत व्यय योजना** – (केपेक्स) का तात्पर्य पूँजीगत प्रकृति के उन व्ययों से है, जो राज्य भार प्रेषण केन्द्र की अस्तियों के निर्माण हेतु नियंत्रण अवधि के दौरान व्यय किये जाने हेतु योजित हो।

3.6 **प्रभार**–का तात्पर्य उन आवर्ती तथा मासिक भुगतान से है, जिसका कि संचालन राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा किया जाता है।

3.7 **आयोग** का तात्पर्य, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग से है।

3.8 **अनुबंधित क्षमता** से तात्पर्य, उस क्षमता से है जिसके मुक्त उपयोग (सुगम्यता) हेतु अनुबंध किया गया हो।

3.9 **नियंत्रण अवधि** से तात्पर्य, आयोग द्वारा निर्धारित 01 अप्रेल 2013 से 31 मार्च 2016 तक की या आयोग द्वारा निर्धारित अन्यथा अवधि से है। पश्चात्वर्ती नियंत्रण अवधि आयोग द्वारा यथा निर्धारित।

3.10 **दिवस/दिन** से तात्पर्य 0.00 घण्टे से प्रारम्भ होने वाली 24 घण्टे की अवधि से है अनुसार होगी।

3.11 **''किए गए व्यय''** से तात्पर्य, वास्तव में निवेशित धन, चाहे वह अंश पूँजी हो अथवा ऋण या दोनों हो, से है, और जो किसी उपयोगी अस्ति के निर्माण या अधिग्रहण हेतु, नगद या उसके समतुल्य, अदा की गई हो, परन्तु उसमें ऐसे वचन या उत्तरदायित्व सम्मिलित नहीं है, जिनके लिए कोई भुगतान न किया गया हो।

3.12 **''शुल्क''** का तात्पर्य, राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा स्वयं के लिये अथवा किसी अन्य खाते हेतु, संग्रहीत एक मुश्त अथवा नियत वार्षिक राशि से है, जैसा कि आयोग द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जावे,

3.13 **''राज्यांतरिक क्रेता''** का तात्पर्य, उस वितरण अनुज्ञप्तिधारी या विद्युत व्यापारी या प्रचुर मात्रा में विद्युत उपभोग करने वाले उपभोक्ता अथवा केप्टिव विद्युत उपभोक्ता से है, जो मुक्त उपयोग (ओपन एक्सेस/सुगम्यता) द्वारा, राज्यांतरिक पारेषण तंत्र और/या वितरण तंत्र का उपयोग करते हुए विद्युत प्राप्त करता हो, और इसमें ऐसा तंत्र भी सम्मिलित है, जो उपयोग किये जाते समय अंतर्राज्यीय पारेषण तंत्र से संयोजित हो, परन्तु उसके भार प्रेषण की अनुसूची, ऊर्जा का मापन तथा लेखा–जोखा राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा समन्वित किया जाता हो।

3.14 **''राज्यांतरिक एकक''** का तात्पर्य उन व्यक्तियों से है, जिनकी सूचीबद्धता, ऊर्जा का मापन तथा लेखा–जोखा राज्य स्तर पर किया जाता हो।

3.15 **''राज्यांतरिक बाज़ार संचालन का कृत्य''** के अंतर्गत भार प्रेषण अनुसूची बनाना, ऊर्जा का प्रेषण, मापन, ऑकडों का संग्रहण, लेखा–जोखा और व्यवस्थापन, पारेषण हानि का परिगणन तथा उसका बंटवारा, सामूहिक खाते एवं संकुलता प्रभार खाते का संचालन, सहायक सेवाओं का प्रशासन, सूचनाओं का सम्प्रेषण तथा अन्य सभी कृत्य सम्मिलित है, जो अधिनियम द्वारा, अथवा आयोग के विनियमों एवं आदेशों द्वारा राज्य भार प्रेषण केंद्र को सौंपे गये हो।

3.16 **''राज्यांतरिक विक्रेता''** का तात्पर्य, केप्टिव उत्पादन केन्द्र सहित सभी विद्युत उत्पादन केन्द्र अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत व्यापारी से है, जो राज्यांतरिक पारेषण तंत्र और/या वितरण तंत्र के द्वारा मुक्त उपयोग (सुगम्यता) के माध्यम से विद्युत की आपूर्ति करते हैं, और इसमें ऐसा तंत्र भी सम्मिलित है, जो उपयोग किये जाते समय अंतर्राज्यीय पारेषण तंत्र से संयोजित हो, परन्तु उसके भार प्रेषण अनुसूची की तालिका, ऊर्जा का मापन तथा लेखा–जोखा राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा समन्वयित किया जाता हो।

3.17 **''राज्यांतरिक उपयोगकर्त्ता''** से तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जिसका विद्युत संयंत्र 33 के.व्ही अथवा अधिक के वोल्टेज स्तर पर राज्य ग्रिड से संयोजित हो, उदाहरणार्थ कोई उत्पादन संयंत्र (केप्टिव उत्पादन संयंत्र सहित) अथवा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (केंद्रीय पारेषण उपक्रम अथवा राज्य पारेषण उपक्रम से इतर) या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या केप्टिव उपयोगकर्ता सहित प्रचुर मात्रा में विद्युत उपभोग करने वाले उपभोक्ता है।

3.18 ''**अनुज्ञप्तिधारी**'' से तात्पर्य उस व्यक्ति से हैं, जिसे अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्रदान की गई हैं।

3.19 ''**दीर्घावधि**'' का तात्पर्य 12 वर्ष या उससे अधिक की अवधि से है।

3.20 ''**मध्यम अवधि**'' का तात्पर्य जो एक वर्ष से अधिक परन्तु अधिकतम सात वर्ष तक की अवधि से है।

3.21 ''**राज्य संकोष खाता**'' से तात्पर्य अनधिसूचित अन्तर्परिवर्तनों (यूआई एकाउंट) अथवा प्रतिक्रियाशील ऊर्जा लेखों (रिएक्टिव एनर्जी एकाउंट) के भुगतान सम्बन्धी राज्य के खातों या ऐसे किन्ही अन्य खातों, जिनका संचालन आयोग के विनियमों अथवा निर्देशों के अनुरूप समय–समय पर राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा किया जाता हो।

3.22 ''**राज्य भार प्रेषण केंद्र या एस.एल.डी.सी.**'' से तात्पर्य अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थापित केन्द्र से है।

3.23 **''राज्य प्रणाली संचालन का कृत्य''** में ग्रिड संचालन की निगरानी, राज्यांतरिक पारेषण तंत्र पर नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण, ग्रिड नियंत्रण एवं भार प्रेषण हेतु वास्तविक समय–संचालन ग्रिड व्यवधान के पश्चात् प्रणाली का पुनर्स्थापन, प्रणाली संचालन से संबंधित आंकडों का संयोजन तथा प्रस्तुतिकरण संकुलता प्रबंधन, ब्लैकस्टार्ट का समन्वय और अन्य कृत्य जो अधिनियम और/या आयोग के विनियमों और/अथवा आदेशों द्वारा राज्यभार प्रेषण केन्द्र को सौंपे गए हों।

3.24 **''योजना''** से तात्पर्य उन सुविधाओं और उपकरणों से है जो राज्य भार प्रेषण केन्द्र से संयोजित एवं उसमें स्थापित हो और उसमें निम्नलिखित भी सम्मिलित हैः–

(क) कम्प्यूटर प्रणाली हार्डवेयर और साफ्टवेयर।

(ख) सहायक विद्युत आपूर्ति तंत्र जिसमें अबाधित विद्युत आपूर्ति, डीजल जनरेटिंग सेट और डी.सी. विद्युत तंत्र भी सम्मिलित हैं।

(ग) सामान्य दूरभाष, फेक्स और अन्य ऑफ लाइन संचार प्रणाली ।

(घ) अन्य अधोसंरचनात्मक सुविधाएं जैसे वातानुकूलन, अग्नि शमन, भवनों का निर्माण तथा नवीनीकरण।

(च) शोध एवं विकास हेतु नूतन परियोजनाएं तथा बेहतर प्रणाली संचालन हेतु प्रायोगिक परियोजनाएं जैसे सिंक्रोफेजर, प्रणाली सुरक्षा योजना (सिस्टम प्रोटेक्शन स्कीम)

(छ) राज्य भार प्रेषण केन्द्र हेतु बैक अप नियंत्रण केन्द्र।

(ज) कैमरा निगरानी प्रणाली। और

(झ) साईबर सुरक्षा/बचाव प्रणाली ।

(25) **''वर्ष''** से तात्पर्य वित्तीय वर्ष से हैं ।

इन विनियमों में प्रयुक्त उन शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का, जो इसमें ऊपर परिभाषित नहीं किये गये हैं, परन्तु अधिनियम अथवा राज्य ग्रिड संहिता या आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किन्हीं अन्य विनियमों में परिभाषित किये गये हों, उनका अर्थ वही होगा जो अधिनियम या राज्य ग्रिड संहिता या उस अन्य विनियम में हो, परन्तु यदि आयोग द्वारा किसी विशेष संदर्भ में किसी शब्द या अभिव्यक्ति का प्रयोग किया जाता है तो संदर्भ अनुसार प्रयुक्त अर्थ ही मान्य होगा एवं उपरोक्त वर्णित सामान्य परिभाषाएं लागू नहीं होंगी।

अध्याय 1
शुल्क एवं प्रभार निर्धारण हेतु याचिका एवं प्रक्रिया तथा राज्यभार प्रेषण केन्द्र विकास निधि

4. शुल्क एवं प्रभार निर्धारण हेतु याचिका

4.1 राज्य विद्युत भार प्रेषण केन्द्र, आयोग द्वारा अनुमोदित प्रारूप में, 30 नवम्बर या आयोग द्वारा मान्य की गई विस्तारित अवधि में नियंत्रण अवधि के लिए अंकेक्षकों द्वारा विधिवत् प्रमाणित पूँजीगत व्ययों एवं नियंत्रण अवधि के दौरान पूंजीगत योजना में प्रक्षेपित व्यय, के आधार पर एवं अन्य आवश्यक विवरण जो वार्षिक प्रभारों की गणना हेतु आवश्यक हो के साथ शुल्क एवं प्रभारों के निर्धारण हेतु, याचिका आयोग के समक्ष, प्रस्तुत करेगा।

4.2 यह याचिका राज्य भार प्रेषण केन्द्र के, नियंत्रण अवधि के लिए बनी पूँजीगत व्यय योजना के साथ प्रस्तुत की जावेगी, जिसमें अन्य बातों के अलावा वित्त पोषण के स्रोतों की जानकारी भी दी जावेगी। आयोग प्रस्तुत पूँजीगत व्यय योजना की सावधानीपूर्वक जांच करेगा और उसे शुल्क एवं प्रभारों के निर्धारण के साथ अनुमोदित करेगा।

4.3 याचिका के पंजीयन के एक सप्ताह के भीतर आवेदक उसकी एक–एक प्रति ऐसे प्रत्येक राज्यांतरिक संस्थाओं को प्रदान करेगा जो राज्य प्रभार प्रेषण केंद्र से दीर्घावधिक सेवाएं ले रहे है।

4.4 याचिका पंजीयन के एक सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता अपनी संपूर्ण याचिका को अपनी वेबसाईट में प्रदर्शित करेगा और उसे वेबसाईट में तब तक बनाये रखेगा, जब तक कि आयोग द्वारा उसका निराकरण नहीं कर दिया जाता।

4.5 याचिका पंजीयन के 15 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता यह भी सूचित करेगा कि उसकी याचिका की सम्पूर्ण प्रतिलिपि, ऐसे सभी राज्यांतरिक एककों को, जो राज्य भार प्रेषण केन्द्र से दीर्घावधिक सेवाएं ले रहे है, उपलब्ध करा दी गई है और यह उसकी वेबसाईट में भी प्रदर्शित कर दी गई है। उस वेबसाईट का पता भी साथ में दिया जावेगा।

4.6 याचिका के साथ उस व्यक्ति का शपथपत्र आवश्यक होगा, जो इस हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र, द्वारा अधिकृत किया गया हो, एवं जिसे उल्लेखित तथ्यों की जानकारी हो।

4.7 याचिकाकर्ता, आयोग के निर्देश पर, याचिका के पंजीयन के 7 दिनों के भीतर अपनी याचिका के सम्बन्ध में एक सार्वजनिक सूचना कम से कम दो, एक अंग्रेजी और एक हिन्दी के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा, जिनका विस्तार उन क्षेत्रों में हो, जिसमें राज्यांतरिक संस्थाएं (इंट्रा स्टेट एंटीटीस्) स्थित हो। यह सूचना ऐसे प्रारूप में, जो आयोग द्वारा अनुमोदित हो, प्रकाशित की जावेगी।

5. वार्षिक फीस एवं संचालन व्यय का युक्तियुक्तकरण (truingup)

5.1 राज्य भार प्रेषण केन्द्र, आयोग द्वारा अनुमोदित प्रारूप में आगामी वर्ष के 30 नवम्बर तक युक्तियुक्तकरण हेतु याचिका प्रस्तुत करेगा।

5.2 राज्य भार प्रेषण केन्द्र, युक्तियुक्तकरण हेतु अपनी याचिका के साथ वर्षवार पूँजीगत व्यय, जिसमें अतिरिक्त पूँजीगत व्यय भी शामिल है, वित्त पोषण के स्रोतों, संचालन एवं संधारण व्यय इत्यादि, जो वहन किया गया हो, तथा अंकेक्षकों द्वारा उपयुक्त रीति से अंकेक्षित एवं प्रमाणित किया गया हो, का विवरण भी प्रस्तुत करेगा।

5.3 आयोग वार्षिक युक्तियुक्तकरण का कार्य पूरा करेगा। आयोग द्वारा सावधानीपूर्वक जांच के उपरान्त किसी वर्ष में वसूल किये गये शुल्क एवं प्रभारों का युक्तियुक्तकरण किया जायेगा और इसे आगामी वर्ष के लिए शुल्क एवं प्रभारों के निर्धारण के दौरान संज्ञान में लिया जावेगा।

5.4 जब कभी इन विनियमों के अन्तर्गत आयोग द्वारा अनुमोदित शुल्क एवं प्रभारों की राशि से वसूल की गई राशि युक्तियुक्तकरण के पश्चात् अधिक/कम पाई जावे, इस तरह वसूल की गई आधिक्य/अवशेष राशि, जैसा कि प्रकरण हो को अनुवर्ती वर्ष के शुल्क व प्रभारों की गणना में या जैसा आयोग द्वारा निर्धारित किया जाए उस रीति से, समायोजित किया जायेगा।

6. पूंजीगत लागत

6.1 राज्य भार प्रेषण केन्द्र के लिए पूंजीगत लागत में, नियंत्रण अवधि के दौरान वहन किया गया व्यय अथवा प्रक्षेपित व्यय, जिसमें निर्माण कार्य के दौरान देय ब्याज, वित्तीय प्रभार, विदेशी विनियमय दर परिवर्तन के लेखे, कोई अन्य अभिप्राप्तियां अथवा हानियां और पूंजीगत योजना के अनुरूप में निर्माण के दौरान होने वाले अन्य प्रासंगिक व्यय भी सम्मिलित होंगे।

परन्तु उन संपत्तियों का मूल्य जो उपयोग में नहीं हो, पूंजीगत लागत का भाग नहीं होगा।

6.2 आयोग द्वारा सावधानीपूर्वक जांच के उपरांत स्वीकृत की गई पूंजीगत लागत, प्रभारों के निर्धारण का आधार होंगी।

उपरोक्त सावधानीपूर्वक जांच में, पूंजीगत व्यय की तर्कसंगतता का परीक्षण, वित्त पोषण योजना, निर्माणावधि में ब्याज, परियोजना लागत में वृद्धि, निर्माणावधि में होने वाले अनपेक्षित व्यय और ऐसे अन्य विषय, जो आयोग द्वारा उपयुक्त समझे जाये, सम्मिलित हो सकते हैं।

परन्तु यह भी कि, राज्य भार प्रेषण केन्द्र राज्य पारेषण उपक्रम की लेखा पुस्तकों में, अंतरण दिवस पर प्रविष्ट पूंजीगत लागत, नियंत्रण अवधि के लिए अनुमोदित पूंजीगत योजना के साथ, प्रभारों के निर्धारण का आधार होगी।

7. अतिरिक्त पूंजीकरण

व्यवसायिक प्रचालन की दिनांक के पश्चात् वहन किए गए अथवा प्रक्षेपित पूंजीगत व्ययों को आयोग द्वारा अपने स्वविवेक से सावधानीपूर्वक जांच के अधीन स्वीकार किया जा सकेगा।

परन्तु मामूली वस्तुओं अथवा संपत्ति जैसे कि, औजारों एवं साधनों, फर्नीचर, एयरकंडीशनर्स, वोल्टेज–स्टेबलाईजर्स, रेफ्रिजरेटर्स, कूलर्स, पंखे, वाशिंग मशीन्स, हीट–कन्वेक्टर्स, गद्दे, गलीचे इत्यादि परिसंपत्तियों के अर्जन पर व्यवसायिक परिचालन के दिनांक के पश्चात् किया गया कोई भी व्यय, शुल्क एवं प्रभारों के निर्धारण हेतु, अतिरिक्त पूंजीकरण के रूप में विचारणीय नहीं होगा।

8. ऋण तथा अंशपूँजी का अनुपात

8.1 अंतरण के दिनांक को लेखा पुस्तकों में प्रविष्ट वास्तविक ऋण तथा अंश पूँजी का अनुपात राज्य भार प्रेषण केन्द्र के प्रारंभिक पूँजीगत लागत के अवयवों हेतु मान्य किया जावेगा। परन्तु यह कि राज्य शासन द्वारा पृथक कंपनी अधिसूचित किए जाने तक राज्य पारेषण उपक्रम की लेखा पुस्तिका में उल्लेखित ऋण–अंशपूंजी अनुपात ही मान्य होगा।

8.2 अंतरण दिनांक अथवा उसके पश्चात्, किये गये किसी निवेश के लिए, यदि वास्तव में निवेशित की गई अंशपूँजी, पूँजीगत लागत के 30% से अधिक हो तो वह पूँजी जो 30% से अधिक पाई जावे, मानक ऋण के रूप मान्य की जावेगी।

परन्तु जहां वास्तव में निवेशित अंशपूँजी, पूँजीगत लागत के 30% से कम हो तो वह वास्तविक अंशपूँजी प्रभारों के निर्धारण हेतु मान्य की जावेगी।

परन्तुक यह भी कि विदेशी मुद्रा में निवेशित अंशपूँजी को प्रत्येक निवेश के दिनांक पर भारतीय रूपये में अभिहित किया जावेगा।

<u>स्पष्टीकरण</u>

यदि अंशपूँजी जारी करते समय, राज्य भार प्रेषण केन्द्र, द्वारा प्राप्त किसी प्रीमियम, और अपने मुक्त संचित निधि में से निर्मित आंतरिक स्रोतों (राज्य भार प्रेषण विकास निधि सहित) का निवेश, पूँजीगत व्यय की धनपूर्ति हेतु, किया जावे तो वह अंश पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना के उद्देश्य से, अंश पूँजी के रूप में, परिगणित किया जावेगा, बशर्ते किऐसी प्रीमियम की राशि तथा आंतरिक स्रोतों का वास्तविक उपयोग पूँजीगत व्यय की पूर्ति हेतु किया गया हो।

9. राज्य भार प्रेषण केन्द्र विकास निधि

9.1 पूर्ववर्ती विनियमों में आयोग के समुचित अनुमोदन के पश्चात् लाभांश भुगतान, अस्तियों के निर्माण हेतु निर्धारित अंशपूंजी आवश्यकता की पूर्ति एवं वित्तीय

संस्थानों से ऋण हेतु आवश्यक पूरक राशि इत्यादि के लिए ''राज्य भार प्रेषण केन्द्र विकास निधि'' का प्रावधान विनिर्दिष्ट किया गया था।

उपरोक्त उद्दश्यों के लिए पूंजी की आवश्यकता का प्रबन्धन अब उसी तरह से किया जाना विनिर्दिष्ट किया जाता है जैसा कि अनुज्ञप्तिधारकों/राज्य पारेषण उपयोगिता/उत्पादन कम्पनियों द्वारा प्रासंगिक विनियमों के अन्तर्गत किया जाता है। 31 मार्च, 2013 को राज्य भार प्रेषण केन्द्र विकास निधि में उपलब्ध अवशेष राशि, राज्य भार प्रेषण केन्द्र की पूंजीगत आरक्षित निधि (केपिटल रिजर्वस्) का भाग होगी एवं राज्य शासन द्वारा राज्य भार प्रेषण केन्द्र को पृथक कम्पनी के रूप में अधिसूचित किये जाने तक यह राज्य पारेषण उपयोगिता की पूंजीगत आरक्षित निधि का भाग होगी जो कि आयोग के समुचित अनुमोदन के पश्चात् अस्तियों के निर्माण हेतु अंशपूंजी के रूप में प्रयोज्य की जा सकती है।

9.2 राज्य भार प्रेषण केन्द्र को प्राप्त होने वाले प्रभार यथा जमा राशि पर ब्याज, पूंजीकरण शुल्क, आवेदन शुल्क, लघु अवधि सुगम्यता प्रभार (संचालन प्रभार) विविध प्रभार जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र हेतु उत्पादकों से लिया जाने वाला प्रभार इत्यादि राज्य भार प्रेषण केन्द्र के गैर टैरिफ आय माने जाएंगे। युक्तियुक्तकरण (ट्रू–अप) के समय पर यह आय राज्य भार प्रेषण केन्द्र से दीर्घावधि एवं मध्यम अवधि सेवायें प्राप्त करने वाले राज्यान्तरिक क्रेताओं, राज्यान्तरिक विक्रेताओं एवं राज्यान्तरिक एककों पर लागू होने वाले प्रभारों में से समायोजित की जाएगी।

———000———

अध्याय–2
वार्षिक प्रभारों की संगणना

10. वार्षिक प्रभार

राज्य भार प्रेषण केन्द्र को देय वार्षिक प्रभार, प्रणाली संचालन प्रभार एवं बाजार संचालन प्रभार के रूप में संग्रहीत किया जावेगा। ये वार्षिक प्रभार एकल उत्पादकों, अल्पावधि मुक्त आयोग ग्राहकों, प्रचुर मात्रा से उपभोग करने वाले ग्राहकों एवं केप्टिव उपभोक्ताओं को छोड़ कर अन्य सभी राज्यांतरिक एककों से उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किए जाएंगे।

11. वार्षिक प्रभारों के अवयव–ये वार्षिक प्रभार निम्नलिखित अवयवों से मिलकर बनेंगेः–

क. पूँजी पर प्रतिलाभ

ख. ऋण पूंजी पर ब्याज

ग. अवक्षयण (मूल्यह्रास)

घ. संचालन एवं संधारण व्यय

च. कार्यशील पूँजी पर ब्याज

छ. पेंशन फंड

12. अंश पूँजी पर प्रतिलाभ

12.1 अंशपूँजी पर प्रतिलाभ की गणना, इन विनियमों के विनियम 8 के प्रावधानों के अनुरूप, रूपयों में निर्धारित अंश पूंजी के आधार पर, की जावेगी।

12.2 अंशपूँजी पर प्रतिलाभ की गणना, इन विनियमों के विनियम 12(3) में दिये प्रावधानों के अनुरूप, अधिकतम 15.5% की कर–पूर्व आधार–दर (प्री टैक्स बेस रेट) को कर की दरों से समायोजित कर की जावेगी।

12.3 नियंत्रण अवधि के दौरान किसी वित्त वर्ष के लिए अंश पूंजी दर प्रतिलाभ की गणना राज्य भार प्रेषण केन्द्र या राज्य पारेषण उपक्रम, जैसा कि प्रकरण हो, पर उस वित्तीय वर्ष हेतु घोषित सामान्य कर दर के अनुरूप परिगणित कर, की जावेगी।

परन्तु, नियंत्रण अवधि के दौरान, संबंधित वित्त अधिनियमों के प्रावधानों अनुरूप, राज्य भार प्रेषण केन्द्र/राज्य पारेषण उपक्रम पर लगने वाले वास्तविक कर दर के अनुसार, अंशपूंजी पर प्रतिलाभ को, उस नियंत्रण अवधि के अन्त में, प्रत्येक वर्ष के लिए युक्तियुक्त किया जायेगा। यदि किसी वित्त वर्ष में कोई कर देय नहीं होगा तो युक्तियुक्तकरण हेतु उस वर्ष की लागू होने वाली कर दर शून्य मानी जावेगी।

12.4 अंशपूंजी पर प्रतिलाभ को, दशमलव के तीन अंकों तक (दशमलव के बाद के अंतिम अंक को उसके निकटतम पूर्णांक में दर्शाते हुए) प्रदर्शित करते हुए निम्नलिखित सूत्र के द्वारा परिगणित किया जावेगाः–

कर के पूर्व पूंजी पर प्रतिलाभ की दर = आधार दर/(1–कर दर)
जहाँ कर दर से तात्पर्य उपरोक्त उप खण्ड (3) के अनुसार लागू कर दर से है।

13. ऋण पूंजी पर ब्याज

13.1 विनियम (8) के आधार पर निर्धारित ऋण को ब्याज की गणना हेतु, सकल मानक ऋण माना जावेगा।

13.2 नियंत्रण अवधि के प्रथम वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में अवशेष सकल मानक ऋण का परिगणन, सकल मानक ऋण और उसके पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन तक किये गये ऋण वापसी के उस सकल योग जिसे आयोग ने मान्य किया हो, के अंतर से किया जायेगा।

13.3 नियंत्रण अवधि के संबंधित वर्ष का पुनर्भुगतान उस वर्ष के लिए स्वीकार्य अवक्षयण के बराबर माना जावेगा।

13.4 किसी वित्त वर्ष के प्रारंभ में राज्य भार प्रेषण केन्द्र के वास्तविक ऋण पोर्टफोलिओं के आधार पर परिगणित भारित औसत ब्याज दर ही मान्य ब्याज दर होगी।

परन्तु यदि किसी वर्ष विशेष में कोई वास्तविक ऋण न हो, लेकिन यदि मानक ऋण बकाया हो, तो ब्याज दर को उपलब्ध अंतिम भारित औसत दर पर माना जावेगा।

13.5 ऋणों पर ब्याज की गणना, उस वर्ष के मानक ऋण पर, भारित औसत ब्याज दर के आधार पर, की जावेगी।

13.6 राज्य भार प्रेषण केन्द्र, राज्य पारेषण उपयोगिता ऋण के पुनर्नियोजन के लिए उस सीमा तक हर संभव प्रयास करेगा जिसका कि परिणाम ब्याज में शुद्ध बचत के रूप में हो, और उस परिस्थिति में ऋण के पुनर्नियोजन से संबंधित समस्त व्यय, राज्यांतरिक क्रेताओं तथा विक्रताओं द्वारा वहन किये जावेंगे तथा शुद्ध वचत को राज्यांतरिक एकको (क्रेताओं व विक्रताओं) और भार प्रेषण केन्द्र के मध्य, जैसा कि प्रकरण हो, 1:1 के अनुपात में बांटा जावेगा। यह प्रावधान केवल उन्हीं राज्यांतरिक व्यक्तित्वों पर लागू होगा जो राज्य भार प्रेषण केंद्र से दीर्घावधिक सेवाएं ले रहे हो।

13.7 ऋण की शर्तों एवं निबंधनों में परिवर्तन ऋण पुनर्नियोजन प्राप्ति के दिनांक से प्रतिबिम्बित होंगे।

13.8 किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में, कोई भी पक्षकार समय–समय पर यथा संशोधित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन विनियम)) 2009 या विधि के पुनः अधिनियमन के अनुसार विवाद के निराकरण हेतु याचिका पत्र प्रस्तुत कर सकेगा।

परन्तु, ऋण के पुनर्नियोजन से उत्पन्न किसी विवाद के लंबित रहने के दौरान कोई राज्यांतरिक एकक, राज्य भार प्रेषण केन्द्र, द्वारा मांगे गये ब्याज के आधार पर किसी भुगतान को नहीं रोकेगा।

14. अवक्षयण

14.1 अवक्षयण की गणना हेतु आधार मूल्य, परिसंपत्तियों की वह पूंजी लागत होगी, जो आयोग द्वारा मानी गई हो।

14.2 किसी परिसंम्पति (आई टी से संबंधित उपकरण व साफ्टवेयर को छोड़ कर) का नाम–शेष मूल्य (साज्वेज वेल्यू) उस संपत्ति के पूंजी लागत का 10% मान्य किया जावेगा और मूल्यह्रास अधिकतम 90% तक किये जाने की अनुमति होगी। आई.टी. उपकरण व साफ्टवेयर का नाम–शेष मूल्य शून्य मानते हुए इनके लिए परिसम्पति के पूंजी मूल्य के 100 प्रतिशत का मूल्यह्रास मान्य होगा।

14.3 भूमि को अवक्षयण योग्य परिसम्पत्ति नहीं माना जावेगा तथा संपत्ति के अवक्षयण की गणना करते समय भूमि का मूल्य उस संपत्ति की पूंजीगत लागत से कम कर दिया जावेगा।

14.4 राज्य भार प्रेषण केन्द्र की परिसंपत्तियों के लिए अवक्षयण की गणना वार्षिक रूप से सरल रेखीय विधि और इन विनियमों के परिशिष्ट एक में विनिर्दिष्ट दरों के आधार पर की जावेगी।

परन्तु यह कि राज्य शासन द्वारा भार प्रेषण केन्द्र हेतु पृथक कंपनी अधिसूचित किए जाने तक अवक्षयण उसी तरह से परिगणित किया जाएगा जैसा कि राज्य पारेषण उपक्रम हेतु लागू हो।

14.5 पूर्ण रूप से अवक्षयित परिसम्पत्तियों को अलग से दर्शित किया जावेगा।

14.6 ऐसी परिसम्पत्तियां, जो उपयोग में नहीं हैं, या, जो अप्रचलित घोषित कर दी गई हो, उन्हें अवक्षयण की गणना हेतु पूँजीगत लागत से पृथक कर दिया जावेगा।

14.7 अंतरण दिवस पर अवक्षयण योग्य अवशेष मूल्य की गणना लेखा पुस्तिका में राज्य भार प्रेषण केंद्र के लिए दर्शाई गई परिसंपत्तियों के सकल अवक्षयण योग्य मूल्य में से सकल अवक्षयित मूल्य को घटा कर की जावेगी।

15. संचालन संधारण व्यय

15.1 भार प्रेषण केन्द्र हेतु संचालन संधारण व्यय में सम्मिलित होंगे

(i) कर्मचारी व्यय

(ii) प्रशासनिक एवं अन्य व्यय

(iii) संधारण व्यय

(क) आधार वर्ष यानि वर्ष 2012–13 हेतु पेंशन फंड एवं वेतन पुनरीक्षण के मद में देय राशि को छोडकर, संचालन संधारण व्यय का निर्धारण आधार वर्ष के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के अंकेक्षित/अनकेक्षित लेखों में उल्लेखित संचालन संधारण व्यय (पेंशन फंड एवं वेतन पुनरीक्षण व्यय के अतिरिक्त) के समुचित जॉच परख एवं औसत के मानकीकरण के आधार पर किया जाएगा।

(ख) वर्तमान मूल्यों पर मानकीकरण हेतु मुद्रास्फीति की दर, भारित औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.) का 60% भार एवं थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी. आई) को 40% भार, के आधार पर वर्ष दर वर्ष निकाला जाएगा। वर्ष 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 के उपरोक्तानुसार मानकीकृत वर्तमान मूल्यों का औसत, वर्ष 2012–13 के आधार मूल्य प्रक्षेपण हेतु प्रयुक्त होगा। इस तरह से प्राप्त आधार वर्ष को उपरोक्त औसत मुद्रास्फीति दर से बढ़ाते हुए नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए संचालन संधारण व्यय (पेंशन फंड वेतन पुनरीक्षण बकाया को छोडकर) प्रक्षेपित किया जाएगा।

युक्तियुक्तकरण के समय संचालन संधारण व्यय का पुनर्निर्धारण प्रक्षेपित मुद्रास्फीति दर के स्थान पर वास्तविक मुद्रास्फीति दर के आधार पर किया जाएगा।

परन्तु यह कि वेतन पुनरीक्षण (बकाया सहित) के प्रभाव पर विचार, आयोग द्वारा युक्तियुक्तकरण के समय अंकेक्षित/अनकेक्षित लेखों की समुचित जांच परख एवं अन्य जो भी कारक, आयोग द्वारा आवश्यक समझे जावे, उनको संज्ञान में रख कर किया जाएगा।

15.2 यह भी कि यदि राज्य भार प्रेषण केन्द्र के पृथककरण या किसी वैधानिक आवश्यकता या कार्यक्षेत्र में विस्तार, के कारण, राज्य भार प्रेषण केन्द्र हेतु कर्मचारियों की अतिरिक्त आवश्यकता उत्पन्न होती है, तो आयोग उस पर युक्तियुक्तकरण के समय समुचित जाँच परख कर विचार करेगा।

16. क्रियाशील पूंजी पर ब्याज

16.1 क्रियाशील पूँजी में सम्मिलित होगाः–

(i) एक माह का संचालन एवं संधारण व्यय;

(ii) रखरखाव हेतु अतिरिक्त कल पुर्जों के संधारण के लिए विनियम 15 में प्राविधित संचालन संधारण व्यय का 15% ;

(iii) आयोग द्वारा यथा अनुमोदित प्रणाली संचालन प्रभार एवं बाजार संचालन प्रभार के रूप में एक माह की प्राप्ति के बराबर राशि।

16.2 क्रियाशील पूंजी पर ब्याज दर याचिका प्रस्तुत किए जाने वाले वर्ष के 30 सितम्बर को भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर धन 350 बेसिस प्वाइंट (3.5%) होगी। युक्तियुक्तकरण के समय ब्याज दर प्रत्येक वर्ष के 1 अप्रेल को प्रचलित वास्तविक दरों के अनुरूप समायोजित की जावेंगी।

16.3 इस बात के होते हुए भी कि राज्य भार प्रेषण केन्द्र ने क्रियाशील पूंजी हेतु किसी बाहरी संस्थान से ऋण न लिया हो, क्रियाशील पूंजी पर ब्याज मानक आधार पर देय होगा।

17 . पेंशन फंडः–

01–04–2004 के पूर्व छ.ग. विद्युत मंडल/राज्य विद्युत कंपनियों में नियुक्त कर्मचारियों के पूर्ववर्ती दायित्वों, जिनके लिए संचित निधि नहीं है, एक पेंशन एवं ग्रेच्युटी ट्रस्ट का गठन किया गया है एवं उसके पोषण हेतु आयोग द्वारा पूर्व में विद्युत दर आदेशों में प्रावधान स्वीकृत किए हैं। इस हेतु देय राशि का निर्धारण आयोग द्वारा उसी रीति से किया जाएगा जिससे कि राज्य विद्युत कंपनियों द्वारा पेंशन फंड में देय राशि का निर्धारण प्राविधित है। जब तक राज्य भार प्रेषण केन्द्र, राज्य पारेषण उपक्रम का भाग है, राज्य भार प्रेषण केन्द्र का प्रतिभाग राज्य पारेषण उपक्रम द्वारा देय राशि में से पूर्ववर्ती वर्ष के 1 अप्रेल को राज्य भार प्रेषण केन्द्र एवं राज्य पारेषण उपक्रम में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या के अनुपात में तय होगा।

———000———

अध्याय–3
शुल्क एवं प्रभारों का उद्ग्रहण (लेव्ही) तथा संग्रहण

18. संग्रहण

18.1 राज्य भार प्रेषण केन्द्र, इन विनियमों के अधीन निर्धारित किये जाने वाले शुल्क एवं प्रभार संग्रहीत करेगा।

18.2 राज्य भार प्रेषण केन्द्र राज्यांतरिक उपयोगकर्त्ताओं से पंजीयन शुल्क का उद्ग्रहण एवं संग्रहण करेगा और राज्यांतरिक क्रेता, राज्यांतरिक विक्रेता और राज्यांतरिक एककों जैसा कि इन विनियमों में विनिर्दिष्ट हो, पर प्रभार का उद्ग्रहण कर उसे संग्रहीत कर सकेगा। पंजीयन शुल्क उनसे उद्ग्रहण व संग्रहीत नहीं किया जावेगा जिस पर ये विनियम 2(2) के प्रावधानों के अनुसार लागू नहीं होते।

18.3 राज्य भार प्रेषण केन्द्र, राज्यांतरिक उपयोगकर्त्ताओं राज्यांतरिक एकको राज्यांतरिक क्रेताओं, राज्यांतरिक विक्रेताओं एवं विद्युत–विनिमयों (पावर एक्सचेंज) पर उन्हें प्रदत्त अन्य सेवाओं, जैसा कि किन्हीं अन्य विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो, के लिए शुल्क एवं प्रभार आरोपित करने तथा उनका संग्रहण करने हेतु सक्षम होगा।

19. प्रणाली संचालन एवं बाजार संचालन कृत्यों के लिए वार्षिक प्रभारों के तत्वों का नियतन एवं प्रभंजन

19.1 राज्य प्रणाली संचालन कृत्य के मद में, वार्षिक प्रभार हेतु देय राशि 80 प्रतिशत राशि होगी।

19.2 राज्यांतरिक बाजार संचालन कृत्य के मद में, वार्षिक प्रभार हेतु देय राशि 20 प्रतिशत सम्मिलित होगी।

19.3 वार्षिक प्रभारों का प्रणाली संचालन प्रभार एवं बाजार संचालन प्रभारों में नियतन का अनुपात, आयोग द्वारा, समय–समय पर पुनर्विलोकित एवं निर्धारित किया जा सकता है।

20. प्रणाली संचालन प्रभारों (एस.ओ.सी) तथा बाज़ार संचालन प्रभार (एम.ओ.सी.) का निर्धारण

इन विनियमों के विनियम 19 में यथा विनिर्दिष्ट प्रणाली संचालन प्रभारों एवं बाजार संचालन प्रभारों का निर्धारण, वार्षिक प्रभारों के नियत/प्रभंजित विभिन्न अवयवों का, योग कर किया जावेगा।

21. प्रणाली संचालन प्रभारों का संग्रहण

21.1 प्रणाली संचालन प्रभारों का संग्रहण निम्नलिखित मानकों के अनुसार किया जावेगाः–

(i) राज्यांतरिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (राज्य पारेषण उपक्रम से इतर): प्रणाली संचालन प्रभारों का 10 प्रतिशत

(ii) राज्यांतरिक विक्रेता (नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत संयंत्रों को छोड़कर) प्रणाली संचालन प्रभारों का 45 प्रतिशत

(iii) राज्यांतरिक क्रेता (प्रचुर मात्रा में विद्युत उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं तथा केप्टिव उपयोगकर्ताओं को छोड़कर) प्रणाली संचालन प्रभारों का 45 प्रतिशत

परन्तु, यह कि, यदि राज्यांतरिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (राज्य पारेषण उपक्रम से इतर) राज्य भार प्रेषण कंन्द्र की सेवाएं नहीं ले रहा हो तो, ऐसी दशा में प्रणाली संचालन प्रभार राज्यांतरिक क्रेताओं तथा विक्रताओं से निम्नलिखित मानकों के अनुसार संग्रहीत किया जावेगाः–

(i) राज्यांतरिक विक्रेता (नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत संयंत्रों को छोड़कर) प्रणाली संचालन प्रभारों का 50 प्रतिशत।

(ii) राज्यांतरिक क्रेता (प्रचुर मात्रा में विद्युत उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं तथा केप्टिव उपयोगकर्ताओं को छोड़कर) प्रणाली संचालन प्रभारों का 50 प्रतिशत।

21.2 राज्यांतरिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (राज्य पारेषण उपक्रम से इतर): पर भारित किया जाने वाला प्रणाली संचालन प्रभार, देयक के महीने के पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन उनके स्वामित्व की विद्युत लाईन के सर्किट किलोमीटर के आधार पर उद्ग्रहित किया जायेगा।

21.3 राज्यांतरिक विक्रेताओं से संग्रहीत किया जाने वाला प्रणाली संचालन प्रभार उनके द्वारा राज्य पारेषण तंत्र के उपयोग हेतु अनुबंधित क्षमता के अनुपात में लिया जायेगा।

21.4 राज्यांतरिक क्रेताओं से संग्रहीत किया जाने वाला प्रणाली संचालन प्रभार उनके द्वारा राज्य पारेषण तंत्र के उपयोग हेतु अनुबंधित क्षमता के अनुपात में लिया जायेगा।

टीप – उपरोक्त प्रावधान नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्रों, प्रचुर मात्रा में उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं और केप्टिव उपयोगकर्ताओं पर लागू नहीं होंगे। ये प्रभार उन राज्यांतरिक क्रेताओं और राज्यांतरिक विक्रेताओं पर भी लागू नहीं होंगे, जो अल्पावधिक मुक्त उपयोग मार्ग से विद्युत का क्रय या विक्रय करते हो।

22. **बाज़ार संचालन प्रभारों का संग्रहण –** बाज़ार संचालन प्रभारों का संग्रहण सभी राज्यांतरिक विक्रेताओं एवं राज्यांतरिक क्रेताओं से समान रूप से किया जावेगा, भले ही उनकी अनुबंधित क्षमता कुछ भी हो।

टीप – उपरोक्त प्रावधान नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्रों, प्रचुर मात्रा में उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं और केप्टिव उपयोगकर्त्ताओं को लागू नहीं होंगे। ये प्रभार उन अन्य राज्यांतरिक क्रेताओं और राज्यांतरिक विक्रेताओं को भी लागू नहीं होंगे, जो केवल अल्पावधिक मुक्त उपयोग मार्ग से विद्युत का क्रय या विक्रय करते हो। परन्तु यदि राज्यांतरिक विक्रेता कोई उत्पादन कंपनी हो तो, उसे उत्पादन केन्द्रवार प्रभारों का भुगतान करना होगा।

23. अन्य मुक्त उपयोग उपभोक्ताओं हेतु शुल्क एवं प्रभार

(i) अन्य सभी मुक्त उपयोग ग्राहकों (राज्यांतरिक क्रेता एवं राज्यांतरिक विक्रेता), जो उपरोक्त श्रेणी में नहीं आते, के लिए शुल्क एवं प्रभार वहीं होंगे, जो केन्द्रीय आयोग द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किये जावे। (अर्थात उन राज्यांतरिक व्यक्तित्वों के लिए जो अल्पावधिक अंतर्राज्यीय मुक्त उपयोग की सुविधा लेते है)

(ii) अल्पावधिक मुक्त उपयोग ग्राहकों से उपरोक्तानुसार संग्रहीत प्रभार राज्य भार प्रेषण केन्द्र की विविध आय माने जाएंगे। राज्य भार प्रेषण केन्द्र अल्पावधि मुक्त उपयोग ग्राहकों से इस प्रकार प्राप्त होने वाले राजस्व का पृथक लेखा रखेगा।

24. पंजीयन शुल्क

24.1 सभी राज्यांतरिक उपयोगकर्ता (विनियम 2.2 में उल्लेखित उपयोगकर्ताओं के अतिरिक्त), जो राज्यांतरिक पारेषण तंत्र या वितरण तंत्र से संयोजित होना चाहते हो, उन्हें, इन विनियमों के परिशिष्ट II में विनिर्दिष्ट प्रारूप में आवेदन कर, राज्य भार प्रेषण केन्द्र में स्वयं को पंजीबद्ध कराना होगा।

यह पंजीयन 10 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा एवं तत्पश्चात पंजीयन का नवीनीकरण आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क एवं प्रभारों के आधार पर होगा।

परन्तु यह कि ऐसे राज्यांतरिक उपयोगकर्ता जो राज्य भार प्रेषण केन्द से पहले से पंजीबद्ध है उनका पंजीयन इन विनियमों के अधिसूचित किए जाने से दस वर्ष की अवधि तक वैध बना रहेगा।

टीप– स्वामित्व में अंतरण/परिवर्तन की सूचना राज्य भार प्रेषण केन्द्र को दी जानी होगी।

24.2 विद्युत उत्पादन गृहों (केप्टिव उत्पादन संयंत्रों सहित) के पंजीयन हेतु आवेदन, 50 मेगावाट या उससे अधिक की स्थापित क्षमता के लिए रू. 10 लाख एवं यदि स्थापित क्षमता 50 मेगावाट से कम हो तो रू. 5 लाख के शुल्क के साथ प्रस्तुत किया जावेगा।

परन्तु, नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन कंपनियां अपने उत्पादन केन्द्रों को राज्य भार प्रेषण केन्द्र में पंजीकृत करने हेतु रू. 2 लाख का शुल्क अदा करेगी (चाहे स्थापित क्षमता कुछ भी क्यों न हो)। ऐसी कंपनियों को, उनके संयंत्रों का नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित उत्पादन केन्द्र होने संबंधी विहित प्रमाण पत्र, जो राज्य की नोडल एजेंसी अर्थात छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) द्वारा जारी किया गया हो, जमा करना होगा।

परन्तु, यह कि ऐसे एकल उत्पादक जो नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र या आयोग द्वारा समय समय पर विर्निदिष्ट किसी प्रयोजन हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र की सेवाएं विद्युत ऊर्जा के मापन, या लेखे–जोखे हेतु प्राप्त करते हैं, उन्हें भी राज्य भार प्रेषण केन्द्र से पंजीकृत होना होगा। ऐसे प्रकरणों में, पंजीकरण शुल्क ₹ 1 लाख होगा चाहे संयंत्र की स्थापित क्षमता कुछ भी हो।

24.3 उन अनुज्ञप्तिधारियों और राज्यांतरिक एकको, (उत्पादन गृहों के अतिरिक्त) जो राज्य भार प्रेषण केन्द्र की सेवाएं प्राप्त करना चाहते हों, के लिए शुल्क रू. 10 लाख होगा।

24.4 यदि विद्यमान राज्यांतरिक उपयोगकर्ताओं अथवा राज्यांतरिक व्यक्तित्वों अथवा विद्युत उत्पादन केन्द्रों (केप्टिव उत्पादन संयंत्रों सहित), के द्वारा पंजीयन शुल्क पटाने में चूक की जाती है तो राज्य भार प्रेषण केंन्द्रों ऐसे प्रकरण को आयोग के विचारार्थ प्रस्तुत कर सकेगा।

24.5 राज्य भार प्रेषण केन्द्र, आवेदन की छान–बीन करने के उपरांत, यदि उसमें दी गई जानकारियों की सत्यता से संतुष्ट हो तो, वह अपनी पंजी में आवेदक को विधिवत् पंजीबद्ध करेगा एवं इसकी सूचना आवेदक को देगा।

24.6 पंजीयन शुल्क अदा करने के पश्चात् वापसी योग्य नहीं होगा। यदि कोई उत्पादन गृह, जो 50 मेगावाट क्षमता से कम का हो, अपनी क्षमता बढ़ाकर 50 मेगावाट या उससे अधिक करता है तो उसे पंजीयन शुल्क के अंतर की राशि ₹ 5 लाख जमा करानी होगी।

24.7 राज्य भार प्रेषण केन्द्र पंजीकृत राज्यांतरिक उपयोगकर्त्ता की सूची अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगा। राज्य भार प्रेषण केंद्र प्रतिवर्ष अप्रैल माह के अंत तक राज्यांतरिक पारेषण तंत्र और वितरण तंत्र से संयोजित एवं उसके द्वारा जिन्हें सेवाएं प्रदान की जा रही हो अथवा उनका अनुशीलन (मॉनीटरिंग) किया जा रहा हो, ऐसे सभी विद्युत उत्पादन केन्द्रों/अनुज्ञप्तिधारियों की समेकित जानकारी आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

24.8 राज्य भार प्रेषण केन्द्र पंजीकरण हेतु प्राप्त समस्त आवेदनों का निराकरण 30 दिवस के भीतर करेगा। प्रकरण के निराकरण विलंब अथवा अस्वीकृति की दशा में उचित कारणों को दर्शाते हुए निर्धारित समयावधि से 5 दिनों के भीतर आवेदनकर्ता को राज्य भार प्रेषण केन्द्र सूचित किया जाएगा।

टीप– सभी राज्यांतरिक उपयोगकर्ताओं (प्रचुर मात्रा में उपयोग करने वाले उपभोक्ता एवं केप्टिव उपभोक्ताओं को छोड़कर) का राज्य भार प्रेषण केंद्र में पंजीकृत होना आवश्यक होगा। इनमें उत्पादन संयंत्र, केप्टिव उत्पादन संयंत्र, राज्य ग्रिड से सीधे संयोजित सभी अनुज्ञप्तिधारी एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र की सेवाएं प्राप्त करने वाले एकल उत्पादक और अन्य राज्यांतरिक एकक सम्मिलित होंगे।

———000———

अध्याय–4
देयक तथा अन्य विविध प्रावधान

25. देयक एवं प्रभारों का भुगतान

25.1 राज्य भार प्रेषण केन्द्र, इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार तंत्र संचालन प्रभारों तथा बाजार संचालन प्रभारों के लिए मासिक आधार पर देयक जारी करेगा और संबंधित राज्यांतरिक एकक द्वारा उसका भुगतान सीधे राज्य भार प्रेषण केन्द्र को किया जावेगा।

25.2 राज्य भार प्रेषण केन्द्र के शुल्कों एवं प्रभारों के भुगतान में लगातार की जाने वाली चूक आयोग के ध्यान में लाई जावेगी।

26. देर से भुगतान के कारण अधिभार

इन विनियम के अधीन देय किसी देयक का भुगतान यदि किसी राज्यांतरिक एकक द्वारा देयक प्राप्ति के दिनांक से 30 दिनों के भीतर नहीं किया जाता तो उस पर 1.25% प्रति माह की दर से विलंबित भुगतान अधिभार भी आरोपित किया जावेगा।

27. छूट

लेटर आफ क्रेडिट के माध्यम से देयक के प्रस्तुतीकरण पर भुगतान करने पर 1 प्रतिशत की छूट दी जावेगी।

28. शिथलीकरण का अधिकार

आयोग द्वारा स्वयं होकर या किसी इच्छुक व्यक्ति के द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर, प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों को सुनवाई का तर्क संगत मौका दे कर, उन कारणों को अभिलेखित करते हुए, इस विनियम के किसी प्रावधान को शिथिल किया जा सकेगा।

29. व्यावृत्तियां

29.1 इन विनियमों में अंतर्विष्ट कोई भी बात, आयोग को ऐसे किसी भी आदेश को पारित करने हेतु प्रदत्त अंतर्निहित शक्तियों को सीमित या अन्यथा प्रभावित नहीं करेगी, जो न्याय के उद्देश्य की पूर्ति करने अथवा आयोग की प्रक्रिया के दुरूपयोग को रोकने के उद्देश्य से आवश्यक हो।

29.2 इन विनियमों में अंतर्विष्ट कोई भी उल्लेख, अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप ऐसी किसी प्रक्रिया को अपनाने से आयोग को बाधित नहीं करेगा जो इन विनियमों के किसी उपबंध से अलग हो और जिसे विशेष परिस्थिति की दृष्टि में एवं अभिलिखित किए गये कारणों से, किसी मामले या मामलों की श्रेणी हेतु, आयोग आवश्यक या समीचीन समझता हो।

29.3 इन विनियमों में अंतर्विष्ट कोई भी उल्लेख, स्पष्टतया या परोक्ष रूप से आयोग को अधिनियम के अधीन किसी विषय पर विचारण या किसी शक्ति का प्रयोग करने से, जिसके लिए कोई विनियम निर्मित नहीं किए गए हैं, बाधित नहीं करेगा तथा आयोग ऐसे विषयों, शक्तियों तथा कृत्यों का ऐसी रीति से, जैसा वह उचित समझे, निर्वहन कर सकेगा।

टीपः– इस विनियम के हिन्दी संस्करण की अंग्रेजी संस्करण से प्रावधानों की व्याख्या या समझने में अंतर होने की दशा में, अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) का तात्पर्य सही माना जाएगा और इस संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

आयोग के आदेशानुसार

(पी.एन.सिंह)
सचिव

परिशिष्ट-I

मूल्यह्रास/अवमूल्यन सूची

क्रमांक	संपत्ति का विवरण	मूल्यह्रास की दर
		SLM
अ.	पूर्ण स्वामित्व की भूमि	0.00%
ब.	पट्टे पर धारित भूमि	
(i)	भूमि हेतु निवेश	3.34%
(ii)	स्थान के सफाई की लागत हेतु	3.34%
स.	**अन्य संपत्तियां**	
(क)	भवन और सिविल यांत्रिकी कार्य	
(i)	कार्यालय एवं आवासीय	1.63%
(ii)	संयंत्र एवं उपकरणों हेतु भवन	3.34%
(iii)	लकड़ी के ढाँचे इत्यादि अस्थाई रूप से खड़े करना	3.34%
(iv)	कच्चा मार्ग	100.00%
(v)	अन्य	1.63%
(ख)	ट्रांसफार्मर, कियोस्क, उपकेंद्र के उपकरण और अन्य स्थाई उपकरण (संयंत्र के प्रतिष्ठापन सहित)	5.28%
(ग)	केबल संयोजनों सहित स्विच गियर	5.28%
(घ)	तडित चालक	5.28%
(च)	बैटरी	5.28%
(i)	संलग्न बाक्सों तथा विच्छेदित बक्सों सहित भूमिगत केबल	5.28%
(ii)	केबल नलिका प्रणाली	3.34%
(छ)	केबल आधार प्रणाली सहित शिरोपरि लाईनें	
(i)	फ्रेबिकेटेड स्टील पर ऐसी लाईने, जो सिरों पर 66 के.व्ही से अधिक के वोल्टेज पर संचालित हों	3.34%
(ii)	स्टील के खंभों पर ऐसी लाईने जो सिरों पर 13.2 के.व्ही से अधिक परंतु 66 के.व्ही तक सीमित वोल्टेज संचालित करे	5.28%
(iii)	लौहयुक्त सीमेंट गिट्टी के आधार पर स्थापित लाईने	5.28%
(iv)	उपचारित लकड़ी के आधारों पर लाईने	5.28%

(ज)	मीटर	5.28%
(झ)	स्वचालित वाहन	9.50%
(त)	वातानुकूलन संयंत्र	
(i)	स्थिर	5.28%
(ii)	संवहनीय (पोर्टेवल)	9.50%
(थ)(i)	कार्यालय के साज सामान तथा उपस्कर	6.33%
(ii)	कार्यालयीन उपकरण	6.33%
(iii)	पुर्जो एवं उपकरणों सहित अंतरिक वायरिंग	6.33%
(iv)	सड़क बत्ती फिटिंग	5.28%
(द)	किराये पर लिये गये उपकरण	
(i)	मोटरों के अतिरिक्त अन्य	9.50%
(ii)	मोटर	6.33%
(ध)	संचार उपकरण	6.33%
(ट)	आई.टी. उपकरण	15.00%
(ठ)	साफ्टवेयर	30.00%
(ढ़)	अन्य संपत्तियां जिनका उल्लेख ऊपर न किया गया हो	5.28%

———000———

परिशिष्ट-II
(विनियम 24 के परिपालन में)

1. एकक का नाम (बड़े अक्षरों में):

2. पंजीकृत कार्यालय का पता:

3. वह क्षेत्र जिसके लिए पंजीयन वांछित हो:

4. राज्यांतरिक उपयोगकर्त्ता की श्रेणी:

(i) उत्पादन केन्द्र

(ii) केप्टिव उत्पादन संयंत्र

(iii) नवीकरणीय स्रोतों वाला उत्पादन संयंत्र

(iv) वितरण अनुज्ञप्तिधारी

(v) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी

5. राज्यांतरिक उपयोगकर्त्ता का विवरण (विद्यमान उपयोगकर्त्ता के लिए विगत वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को यथा विद्यमान और पश्चातवर्ती परिवर्तन हेतु, यदि कोई हो तो):

i. श्रेणी– उत्पादन केंद्र / नवीकरणीय स्रोतों वाला उत्पादन संयंत्र / केप्टिव उत्पादन संयंत्र

क. कुल स्थापित क्षमता

ख. राज्यांतरिक पारेषण के उपयोग हेतु अधिकतम अनुबंधित क्षमता (मेगावाट में)

ग. राज्य ग्रिड से अंतर संयोजन का उद्देश्य (कृपया समुचित विकल्प चिन्हित करें)

(i) वितरण अनुज्ञप्तिधारी को आपूर्ति (दीर्घावधिक अथवा मध्यम अवधि अथवा अल्पावधिक)

(ii) केप्टिव उपयोग हेतु आपूर्ति (दीर्घावधिक अथवा मध्यम अवधि अथवा अल्पावधिक)

(iii) प्रचुर मात्रा में उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को आपूर्ति (दीर्घावधिक अथवा मध्यम अवधि अथवा अल्पावधिक)

(iv) उपरोक्त के अतिरिक्त अन्यों को आपूर्ति (दीर्घावधिक अथवा मध्यम अवधि अथवा अल्पावधिक)

घ. राज्यांतरिक पारेषण प्रणाली से संयोजन का विवरण:

क्र.	(i) अतिउच्चदाब उपकेंद्र का नाम	(ii) वोल्टेज स्तर (कि.वो में)	(iii) क्या विशेष ऊर्जा मापक (मुख्य)इस स्थान पर स्थापित किया गया है

ii. श्रेणी – पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (राज्यांतरिक)

क. उपकेंद्र:

क्र.	उपकेंद्र का नाम	ट्रांसफार्मरों की संख्या	स्विचिंग केंद्र की दशा में कुल पारेषण / रूपांकित (डिजाइन) क्षमता (एम.व्ही.ए)

ख. पारेषण लाईन:

क्र.	वोल्टेज स्तर (कि.वो. में)	पारेषण लाईनों की संख्या	कुल सर्किट किलोमीटर

6. राज्य भार प्रेषण केंद्र से संबंधित मामलों हेतु संपर्क के लिए व्यक्ति

i. नाम:
ii. पदनाम:
iii. दूरभाष क्र.:
iv. मोबाईल न.:
v. ई–मेल का पता:
vi. डाक का पता:

उपरोक्त जानकारियां मेरे ज्ञान व विश्वास में सही है

अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

स्थान: नाम :
दिनांक: पदनाम :
दूरभाष क्र. :

———000———